उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 24 | 16-31 दिसंबर 2022 | ₹ 20/-

साजिश के आरोप में पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

- महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून
- अफगानिस्तान में छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद
- संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से ईरान निष्कासित
- पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय
साजिश के आरोप में पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 04
2023 में दो लाख हज यात्रियों के हज करने की तैयारी 06
बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज 07
कर्नाटक में हलाल मांस पर पाबंदी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल 08
महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून 10

विश्व
अफगानिस्तान में छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद 12
इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला 13
जर्मन चांसलर की हत्या करने की योजना का पर्दाफाश 14
इमरान सरकार को गिराने में जनरल बाजवा का हाथ 14
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर मुकदमा चलाने की सिफारिश 15

पश्चिम एशिया
संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से ईरान निष्कासित 17
लीबिया में आईएसआईएस के 17 सदस्यों को फांसी 18
सऊदी अरब में अबाया पहनने पर प्रतिबंध 18
विश्व भर के प्रभावी मुसलमानों की सूची जारी 20
इजरायल सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के लिए तैयार 21

अन्य
पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट 23
स्कूल में इकबाल की नज्म पढ़ाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई 23
राष्ट्रपति निलयम का निर्माण मुस्लिम नवाब ने करवाया था 24
अमेरिका में सिख फौजियों को दाढ़ी रखने की अनुमति 24
गोधरा कांड के आरोपी की जमानत 25

सारांश

पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अहमद के कार्यभार संभालते ही इस बात की संभावना प्रकट की गई थी कि पाकिस्तानी सेना जनता में अपने घटते हुए असर को कम करने के लिए भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी लाएगी। आसिम मुनीर अहमद पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के पमुख रहे हैं और उन्हें भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की ज्वाला भड़काने का अनुभव प्राप्त है। सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया।

गत कुछ महीनों में भारत के जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है और टार्गेट किलिंग में भारी वृद्धि हुई है। हाल ही में, पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उच्चस्तरीय बैठक हुई है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में सरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

विदेशी खैरात पर पलने वाले इस्लामिक अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राष्ट्रव्यापी अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में एनआईए ने हैदराबाद की विशेष अदालत में पॉपुलर फ्रंट के सदस्यों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि योग कक्षाओं की आड़ में वे मुस्लिम नौजवानों को जिहाद और आतंकवाद का प्रशिक्षण दे रहे थे। इसके साथ ही एनआईए ने दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉपुलर फ्रंट के मकड़जाल को विफल बनाने के लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

पिछले कुछ समय से कांग्रेसी, वामपंथी और कथित सेक्युलर बुद्धिजीवी बिलकिस बानो की आड़ लेकर गुजरात सरकार के खिलाफ जो अभियान चला रहे थे, उसे हाल ही में करारा झटका लगा है। बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई की अनुमति दी गई थी। इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। महिलाओं के लिए शिक्षा संस्थानों और नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से लोगों के सिर काटने और महिलाओं एवं पुरुषों को कोड़े मारने की सजा का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जब तालिबान के इन अमानवीय फैसलों का विरोध पश्चिमी देशों ने किया, तो तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने उनके विरोध को खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में घोषणा की कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और हम शरिया कानूनों को हर कीमत पर लागू करेंगे।

विचित्र बात यह है कि एक ओर तो भारत के मुसलमान हिजाब को महिलाओं पर थोपने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। जबकि दूसरी ओर, सऊदी अरब ने अपने देश में छात्राओं के अबाया (एक तरह का बुर्का) पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उर्दू अखबारों का कहना है कि अमेरिका के दबाव पर सऊदी अरब के युवराज उदारीकरण की आड़ में इस्लामिक कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सेना में महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है और नौकरियों के दरवाजे भी उनके लिए खोल दिए गए हैं। वाहन चलाने की अनुमति भी महिलाओं को मिल गई है और देश में सिनेमाघरों का जाल बिछा दिया गया है।

ईरान में गत चार महीने से महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ रखा है, वह सरकार की सख्ती के बावजूद दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। ईरान सरकार के सूत्रों के अनुसार इस आंदोलन में अब तक कम-से-कम 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 14 हजार से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है। सैकड़ों लोगों को फांसी पर भी लटकाया जा चुका है। हाल ही में ईरान की लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री तारानेह अलीदूस्ती को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑस्कर विजेता इस फिल्म अभिनेत्री ने ईरान में जारी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था और सोशल मीडिया पर बिना हिजाब और स्कार्फ पहने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी।

साजिश के आरोप में पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

रोजनामा सहारा (31 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट से संबंधित 11 सदस्यों के खिलाफ तेलंगाना की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार यह चार्जशीट हैदराबाद में एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने युवकों को आतंकवाद का प्रशिक्षण देने के लिए गुप्त प्रशिक्षण शिविर लगाए थे और आतंकवाद के लिए युवकों को भर्ती किया था। जिन लोगों के खिलाफ यह चार्जशीट दायर की गई है, उनमें से 10 का संबंध तेलंगाना से है, जबकि एक का संबंध आंध्र प्रदेश से है।

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में एक केस 4 जुलाई को निजामाबाद जिले के एक थाने में दर्ज किया गया था। जब पुलिस की जांच के दौरान इस मामले की पुष्टि हुई तो 26 अगस्त को एनआईए ने भी एक मुकदमा दर्ज किया। एनआईए की जांच में यह पता चला है कि पॉपुलर फ्रंट के नेता मुस्लिम नौजवानों को भारत सरकार और अन्य संगठनों के खिलाफ भड़का रहे थे और प्रशिक्षण शिविरों में उनके दिमाग मं आतंकवाद का जहर भरा जा रहा था।

प्रारंभ में इन शिविरों में उन्हें तेज हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वे किसी भी व्यक्ति के गले, पेट और सिर आदि पर हमला करके उसे जान से मार सकें। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, उनमें तेलंगाना के अब्दुल खादर, अब्दुल अहद, अब्दुल सलीम, शेख शादुल्लाह, फिरोज खान, मोहम्मद उस्मान, सैयद याहिया समीर, शेख इमरान, मोहम्मद अब्दुल मुबीन, मोहम्मद इरफान और आंध्र प्रदेश के शेख इलियास अहमद शामिल हैं।

रोजनामा सहारा (30 दिसंबर) के अनुसार एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत केरल के 56 स्थानों पर एक

साथ छापे मारे। जिन जिलों में छापे मारे गए हैं, उनमें एर्नाकुलम, कोल्लम, अलाप्पुझा, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम आदि शामिल हैं। ये छापे इस सूचना के आधार पर मारे गए कि पॉपुलर फ्रंट को खाड़ी देशों से भारत में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करने के लिए भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। अवैध रूप से विदेशों से प्राप्त होने वाली इस आर्थिक सहायता के संबंध में पॉपुलर फ्रंट और उसके नेताओं क 100 से अधिक बैंक खातों की बारिकी से जांच की जा रही है। इससे पूर्व सितंबर महीने में भी एनआईए को यह जानकारी मिली थी कि प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट के नेता विभिन्न स्थानों पर गुप्त बैठकें करके देश में आतंकवाद फैलाने की योजना बना रहे हैं।

गौरतलब है कि 22 सितंबर को एनआईए ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर केरल के 70 स्थानों पर छापे मारे थे। इस छापे के खिलाफ 23 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने केरल के कई स्थानों पर उग्र हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचाई गई। इसके बाद लगभग 200 लोगों को हिंसक गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि इस सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाई गई क्षति की वसूली पॉपुलर फ्रंट के नेताओं से की जाए। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 28 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट और उससे जुड़े आठ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

रोजनामा सहारा (29 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान में सेना में हुए भारी फेरबदल के बाद पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने जम्मू-कश्मीर में फिर से हिंसा की ज्वाला भड़काने का प्रयास शुरू कर दिया है। जम्मू में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में चार

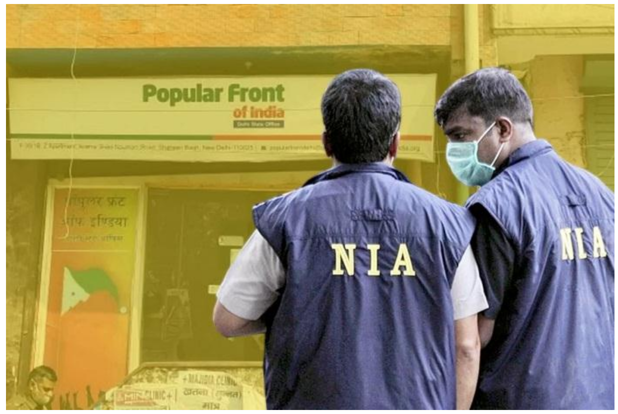

आतंकवादी मारे गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में गोला-बारूद और आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए हैं, जिनमें एके-47 राइफलें, एम-4 राइफल और तीन पिस्तौल शामिल हैं।

बताया जाता है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान की सीमा से जम्मू-कश्मीर में घुसे थे और वे एक ट्रक में सवार होकर श्रीनगर जा रहे थे। जब जम्मू में सिधरा के समीप उन्हें सुरक्षाबलों न जांच के लिए रोका तो ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसके बाद ट्रक में सवार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गोलीबारी के दौरान ट्रक में सवार चारों आतंकी मारे गए।

इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर में हाई अर्ल्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर की पाकिस्तान से लगती सीमा और नियंत्रण रेखा पर सेना और बीएसएफ को सतर्क कर दिया गया है। सुरक्षाबलों को संदेह है कि पाकिस्तान से और भी आतंकी भारत में घुसे हैं। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को भारी मात्रा में तैनात किया गया है और वाहनों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है।

इंकलाब (29 दिसंबर) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय बैठक की गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति पर विचार किया गया। इस बैठक में

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में बताया गया कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है।

इससे पूर्व आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था और नरवाल बाईपास के पास एक ऑयल टैंकर में छिपाए गए अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद भारी मात्रा में बरामद किया गया था। जम्मू-कश्मीर में टार्गेट किलिंग की घटनाओं में हुई वृद्धि के कारण सुरक्षा एजेंसियों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। आतंकी पिछले कुछ समय से कश्मीरी पंडितों और गैर-कश्मीरी मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है और आतंकियों के मंसूबों को विफल कर दिया जाएगा।

2023 में दो लाख हज यात्रियों के हज करने की तैयारी

श्रीनगर से प्रकाशित **चट्टान** (21 दिसंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने भारतीय हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि की है और इस कोटे को बढाकर दो लाख तक कर दिया गया है। इससे पूर्व यह कोटा पौने दो लाख था।

इंकलाब (29 दिसंबर) के अनुसार हज पर होने वाले खर्चों को कम करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार 2023 में हज के लिए जाने वाल हाजियों के खर्चे में एक से डेढ़ करोड़ रुपए तक की कमी किए जाने की संभावना है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार हज यात्रा पांच-छह दिनों के लिए होती है। मगर वहां पर हाजियों को 40 दिनों तक ठहराया जाता है। भारत सरकार सऊदी सरकार से संपर्क करके इस बाद का प्रयास कर रही है कि हाजियों के सऊदी अरब में ठहरने की अवधि को कम किया जाए, ताकि हज पर होने वाला खर्च कम हो सके।

सरकार ने यह भी फैसला किया है कि हज जाने के इच्छुक जिन व्यक्तियों का नाम लॉटरी में निकलेगा, सिर्फ उनसे ही 300 रुपये की फीस वसूल की जाएगी। बाकी लोगों की फीस वापस कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी फैसला किया गया है कि एक खादिम (सहायक) सिर्फ एक बार ही हाजियों को हज के लिए ले जा सकेगा, ताकि नए लोगों को भी हाजियों को हज के लिए ले जाने का मौका मिल सके। गौरतलब है कि अभी तक एक खादिम कई वर्षों तक हाजियों को हज के लिए ले जाता था।

हज कमेटियों ने यह भी शिकायत की है कि आम दिनों में सऊदी अरब जाने का टिकट 30 हजार रुपये का होता है, जो कि हज के दौरान बढ़ाकर एक लाख 30 हजार तक कर दिया जाता है। इसलिए सरकार का यह प्रयास है कि हाजियों की सऊदी अरब यात्रा के लिए ग्लोबल टेंडर मांगे जाएं। इस संबंध में सऊदी सरकार से बातचीत की

जा रही है। अभी तक हज यात्रियों को 2100 रियाल हज कमेटियों की ओर से दिए जाते रहे हैं। अब यह सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। भविष्य में हज के लिए जाने वाले यात्री सीधे एयरपोर्ट से ही सऊदी रियाल खरीद सकेंगे। अभी तक हज यात्रियों को सिम कार्ड, बेडशीट, छाता इत्यादि दैनिक उपयोग की वस्तुएं हज कमेटी से ही खरीदना पड़ता था। अब उन्हें बाजार से ये सामान खरीदने की अनुमति होगी। अब हज जाने के इच्छुक लोगों के पासपोर्ट ऑनलाइन मुंबई भेजे जाएंगे और ऑनलाइन ही वीजा प्राप्त किया जाएगा, ताकि उन्हें स्वयं जाने की जरूरत न पड़े।

हमारा समाज (16 दिसंबर) के अनुसार हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार को अगले वर्ष के प्रारंभ में राज्य हज कमेटियों का गठन करने का निर्देश दिया है। याचिका पर हुई बहस के दौरान वकील संजय हेगड़े और तलहा अब्दुल रहमान ने इस बात पर जोर दिया था कि इन राज्यों में अभी तक हज कमेटियों का गठन नहीं किया गया है, जबकि देश के सभी अन्य राज्यों में हज कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हम दिल्ली हज कमेटी के गठन के बारे में पूरी कार्रवाई करके उपराज्यपाल को फाइल भेज चुके हैं और यह फाइल उनके पास विचाराधीन है। जबकि महाराष्ट्र सरकार के वकोल ने कहा कि हम हज कमेटी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही उसका गठन कर दिया जाएगा।

बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज

अवधनामा (18 दिसंबर) के अनुसार 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहाई के मामले पर पीड़िता बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता को संदेश भेज दिया है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह कहा था कि राज्य सरकार ने उम्रकैद की सजा पूरी होने से पहले ही आरोपियों को जिस तरह से रिहा कर दिया है, वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। मगर उनके तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को 11 आरोपियों, जिन्हें अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, को राज्य सरकार की नीति के तहत रिहा कर दिया था।

गुजरात दंगों के दौरान मार्च 2002 में बिलकिस बानो का सामूहिक बलात्कार किया गया

था और उनके कई परिवारजनों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस बानो की याचिका जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने खारिज की है। बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में यह भी मांग की थी कि उनके मामले की सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन किया जाए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही रद्द कर दिया था।

इत्तेमाद (18 दिसंबर) के अनुसार बिलकिस बानो ने इन आरोपियों की सजा की माफी के खिलाफ दायर अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में निर्णय लिया ह।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 दिसंबर) के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा में यह मांग की थी कि सजा की अवधि पूरी होने से पहले बिलकिस बानो केस के आरोपियों को रिहा करने के फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि इससे आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे।

इत्तेमाद (19 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में बिलकिस बानो की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर कहा है कि इंसाफ पाने की बिलकिस की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई है। ऐसी घटनाओं से देश की जनता को न्यायपालिका पर आस्था को चोट पहुंचती है। समाचारपत्र का कहना है कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात दंगों से संबंधित एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका को इसी तरह से खारिज कर दिया था। जाकिया जाफरी ने अपनी याचिका में उस समय के मुख्यमंत्री सहित 59 लागों को विशेष जांच टीम द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी थी।

संपादकीय में कहा गया है कि यूं तो देश में कई राज्यों में दंगे हुए, मगर हर बार इन दंगों में सिर्फ मुसलमान ही निशाने पर रहे। हर बार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बलि चढ़ाई गई। लेकिन, 2002 का गुजरात दंगा बेहद वहशियाना था और इसे भुलाया नहीं जा सकता। निर्भया कांड आदि मामलों में देश भर में जो विरोध प्रदर्शन किए गए थे, बिलकिस बानो के मामले में उस तरह का कोई जोश नहीं देखा गया। जरूरत इस बात की है कि बिलकिस बानो के मामले को हिंदू-मुस्लिम चश्मे से देखने की बजाय सिर्फ घिनौने अपराध की तरह देखा जाए।

समाचारपत्र का कहना है कि 15 अगस्त 2022 को जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो उस दिन गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो केस के आरोपियों को इस आधार पर बिना सजा पूरी किए रिहा कर दिया कि जेल में उनका बर्ताव अच्छा था। गुजरात सरकार ने यह फैसला उस समय किया जब राज्य में चुनाव की तैयारी हो रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि इन आरोपियों की जेल से रिहाई के बाद उनका स्वागत किया गया। यह हकीकत है कि गुजरात सरकार की दिलचस्पी की वजह से इन आरोपियों की रिहाई का फैसला हुआ है। अगर सरकार नहीं चाहती तो यह कभी नहीं होता। इस फैसले से महिलाओं के बारे में सरकारी दावों की धज्जियां उड़ गई हैं।

कर्नाटक में हलाल मांस पर पाबंदी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल

औरंगाबाद टाइम्स (21 दिसंबर) के अनुसार कर्नाटक में हिजाब के विवाद के बाद, अब सरकार हलाल मांस पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा में लाने की तैयारी हो रही है। विपक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर चुनाव से पूर्व हिंदुत्व कार्ड खेलने का आराप लगाया है। भाजपा के विधायक एन. रविकुमार ने भारतीय खाद्य

सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से इस प्राइवेट बिल में यह मांग की है कि हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए। समाचारपत्र का कहना है कि हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर पहले से ही राज्य में राजनीतिक वातावरण गरम है। अब हलाल मांस पर पाबंदी लगाने से नया हंगामा खड़ा करने की तैयारी की जा रही है।

भाजपा की इस मांग को कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में धर्मांतरण निरोधक विधेयक पर भी चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष ने यह घोषणा की है कि अगर हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाने का कोई बिल सदन में पेश किया गया, तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी.के. हरि प्रसाद ने कहा है कि हम विधानसभा अध्यक्ष से यह अनुरोध करेंगे कि वे हलाल मांस पर पाबंदी से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल को सदन में पश करने की अनुमति न दें। एक अन्य कांग्रेसी नेता यू.टी. खादर ने कहा है कि हम भाजपा की रणनीति को समझते हैं। वह इस बहाने अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटाना चाहती है।

गौरतलब है कि हलाल मांस का विवाद उगादी नामक त्योहार से शुरू हुआ था। कर्नाटक में हिंदू जनजागृति समिति, श्रीराम सेना और बजरंग दल आदि हिंदू संगठनों ने हलाल मांस पर पाबंदी लगाने की मांग की थी और उन्होंने हिंदुओं से अपील की थी कि वे मुसलमानों की दुकानों से हलाल मांस न खरीदें। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन रेस्टोरेंटों में हलाल मांस बनाया जाता है, हिंदू उसका बहिष्कार करें।

सियासत (21 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा और उसके नेता कर्नाटक को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का फैसला कर चुके हैं। कुछ महीने पूर्व कर्नाटक में हिजाब के विवाद को काफी उछाला गया। कॉलेजों में जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब का इस्तेमाल कर रही थीं, उन्हें रोका गया। उस समय भी हलाल मांस पर पाबंदी की चर्चा तो हुई थी, मगर मामला दबा रहा। अब क्योंकि, चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भाजपा ने हलाल पर प्रतिबंध लगाने के कार्ड को खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जाता है कि इस मुद्दे को भाजपा मुख्य चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने की काफी समय से तैयारी कर रही है, मगर उसे कर्नाटक के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में पैर जमाने का मौका नहीं मिला। अब भाजपा ने दक्षिण भारत में आक्रामक तेवर अपनाने का फैसला किया है और ऐसे मामलों को हवा दी जा रही है, जिससे समाज में दूरियां बढ और नफरत की भावना भड़के।

समाचारपत्र का कहना है कि भाजपा को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस तरह के प्रयासों से समाज में अशांति पैदा होगी। जहां तक हलाल का संबंध है, मुसलमानों के लिए यह बेहद महत्त्वपूर्ण है। लोग चाहें तो हलाल गोश्त का इस्तेमाल करें या न करें। मगर मुसलमानों के लिए हलाल का मुद्दा उनके धर्म का हिस्सा है और मजहबी मामलों में किसी के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह मुसलमानों को हलाल मांस के इस्तेमाल करने से रोके। भाजपा इससे पहले राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर एक प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करके जनता की भावना को भड़का चुकी है। अब इसी सिलसिले को दक्षिण भारत में भी लागू किया जा रहा है। ये प्रयास राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए भाजपा धार्मिक घृणा की भावना को भड़काने की तैयारी कर रही है, जो कि सामाजिक एकता के लिए हानिकारक है।

महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून

मुंबई उर्दू न्यूज (21 दिसंबर) के अनुसार श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के बाद से भाजपा और हिंदू संगठनों की ओर से इस बात की लगातार मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। इस मांग के पक्ष में राज्य में अनेक स्थानों पर उग्र पदर्शन हुए हैं। इसके बाद उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में यह घोषणा की है कि राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है।

नागपुर में विधानसभा के अधिवेशन में भाजपा के एक विधायक अतुल भटखल्कर ने श्रद्धा वांकर केस का जिक्र करते हुए यह मांग की थी कि राज्य सरकार लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए। उन्होंने कहा था कि 2020 में श्रद्धा ने पुलिस मं शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जान को खतरा है, मगर इसके बावजूद तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धा केस की अब तक जो जांच हुई है, उसके अनुसार इस बात का कोई सबूत नही मिला है कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई न की हो। हम इस बात की जरूर जांच करवा रहे हैं कि श्रद्धा ने अपनी शिकायत क्यों वापस ली थी?

फडणवीस ने कहा कि सरकार अंतरधार्मिक विवाह के खिलाफ नहीं है, मगर जिस तरह से एक सोची-समझी साजिश के तहत लव जिहाद की आड़ में लड़कियों को फंसाया जाता है, उसको देखते हुए हम लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। कई राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनाए हैं। यह मामला सबसे पहले केरल में आया था और केरल सरकार ने ही इसे लव जिहाद का नाम दिया था। विभिन्न राज्य सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, उनका अध्ययन करने के बाद ही राज्य सरकार इस संबंध में व्यापक कानून लाएगी। राज्य सरकार की यह नीति है कि साजिश के तहत किसी भी लड़की को कोइ भी लड़का शादी के नाम पर धोखा न दे।

विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा है कि जहां तक श्रद्धा वॉकर का संबंध है, इस संदर्भ में राज्य सरकार को केंद्रीय गृह

मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। श्रद्धा की घटना बेहद शर्मनाक है। यहां तक कि अगर एक मुर्गी के 35 टुकड़े करने के लिए किसी कसाई को कहा जाए तो भी वह इस पर सोचेगा। यह तो जीती जागती एक लड़की का मामला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत बनाना चाहिए। उन्होंने आफताब पूनावाला को मौत की सजा देने पर भी जोर दिया और कहा कि श्रद्धा वॉकर महाराष्ट्र की बेटी है, इसलिए हमें इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

औरंगाबाद टाइम्स (23 दिसंबर) के अनुसार हालांकि, विधानसभा में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का संकेत दिया है, मगर इसी सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार की राय सरकार से अलग है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की परिभाषा ही गलत है। क्या सिर्फ मुसलमान लड़के ही हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं? क्या हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करते? यह मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है और इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना सांप्रदायिकता को हवा देना है और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। क्या इसके लिए संविधान में संशाधन किया जाएगा? उन्होंने मांग की कि मुसलमानों को शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। क्योंकि, मुसलमान आर्थिक और शैक्षिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (22 दिसंबर) के अनुसार समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने यह मांग की है कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी और महमूद-उर रहमान कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों के बावजूद अभी तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया है। हालांकि, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का वायदा किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन्होंने मांग की कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का जो निर्देश दिया था, उसे लागू किया जाए। औरंगाबाद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में नागपुर में एक मोर्चा निकालकर मुसलमानों को आरक्षण देने और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग की गई। उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है।

सियासत (21 दिसंबर) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है और इस अभियान का उद्देश्य समाज में जागरूकता पैदा करना है।

अफगानिस्तान में छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद

अवधनामा (22 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शरोयत की आड़ में पूरे देश में छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में अफगानिस्तान के कार्यवाहक उच्च शिक्षा मंत्रो नेदा मोहम्मद नदीम ने एक आदेश जारी किया है। अफगानिस्तान सरकार के इस फैसले की संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने आलोचना की है और इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। महिलाओं को शिक्षा से वंचित करना उनके अधिकारों का हनन है और इस फैसले से अफगानिस्तान के भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे पूर्व अफगान सरकार ने छात्राओं के लिए हाई स्कूल स्तर की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार के इस फैसले की अमेरिका और ब्रिटेन ने निंदा की है और कहा है कि जब तक अफगानिस्तान सरकार महिलाओं के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं हटाती, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि कतर जैसे मुस्लिम देश ने भी इस फैसले की निंदा की है और अफगानिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार करे।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान सरकार के इस फैसले से निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने इससे पूर्व यह वायदा किया था कि वे सख्ती से शरिया कानूनों को लागू नहीं करेंगे। मगर अब वे अपने वायदों से मुकर गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में महिलाआं की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ काबुल में महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की। प्रदर्शन करने के जुर्म में कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।

सियासत (24 दिसंबर) क अनुसार इस्लामिक विश्व के सर्वोच्च धार्मिक शिक्षा संस्थान जामिया अल-अजहर के प्रमुख अहमद अल-तैयब ने अफगान सरकार के इस फैसले की आलोचना

करते हुए कहा है कि उनका यह फैसला इस्लामिक शरोयत के विपरीत है। क्योंकि, इस्लाम में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और कुरान की शुरुआत ही इस बात से होती है कि सभी लोग शिक्षा प्राप्त करें।

इस्लामिक विद्वान के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रो ने कहा है कि इन विश्वविद्यालयों में कई ऐसे विषयों की शिक्षा दी जा रही थी, जो इस्लामिक मूल्यों के विरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं के मेलजोल का विरोध किया गया है।

सालार (26 दिसंबर) के अनुसार अफगान सरकार ने महिलाओं के नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अफगानिस्तान के सभी सरकारी स्कूलों और एनजीओ को यह निर्देश दिया है कि वे किसी भी महिला को नौकरी पर न रखें। वरना देश में उनके संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि क्योंकि महिलाएं शरीयत के अनुसार लिबास नहीं पहन रही थीं, इसलिए उनके कॉलेजों और अन्य स्थानों पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार अफगान सरकार के इस फैसले के खिलाफ अफगानिस्तान के अनेक नगरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें पुरुषों ने भी भाग लिया है। प्रदर्शनकारियों को अलग-थलग करने के लिए अफगान सरकार के सुरक्षाकर्मियों ने हवा में गोलियां चलाई और लाठी चार्ज किया।

इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला

इत्तेमाद (24 दिसंबर) के अनुसार इस्लामाबाद के सेक्टर आई-10 में हुए एक आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 13 जख्मी हो गए। मरने वाले पुलिसकर्मी का नाम आदिल हुसैन बताया जाता है। जबकि दो अन्य पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार यह धमाका उस समय हुआ, जब पुलिसकर्मियों ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का इशारा किया। इसके बाद इस वाहन में सवार आत्मघाती हमलावरों ने स्वयं को विस्फोट से उड़ा लिया। इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

इस धमाके पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्रो शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करके ही दम लेगी और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानी जनता की जद्दाजहद उस समय तक जारी रहेगी जब तक उसका खात्मा नहीं हो जाता। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना की निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि देशद्रोही आतंकवादी तत्वों को सख्ती से कुचल दिया जाए।

जर्मन चांसलर की हत्या करने की योजना का पर्दाफाश

सियासत (16 दिसंबर) के अनुसार जर्मनी में सरकार का तख्ता पलटने और वहां के चासंलर की हत्या करने की जो साजिश रची जा रही थी, उसकी पुष्टि सरकारी तौर पर कर दी गई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुछ दक्षिणपंथी ताकतें देश में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटने और सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रच रही थीं। इस गिरोह को अनेक पूर्व वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त था। इस गिरोह ने हिंसा फैलाने के लिए हजारों की संख्या में अस्त्र-शस्त्रों का जखीरा भी इकट्ठा किया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पुलिस ने इस संदर्भ में जर्मनी के विभिन्न नगरों में 100 से अधिक छापे मारे और काफी मात्रा में गुप्त दस्तावेज, अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद बरामद किया। बताया जाता है कि यह गिरोह जर्मन संसद पर सशस्त्र हमला करके सांसदों और जर्मनी के चांसलर की हत्या करना चाहता था और जर्मनो के एक पुराने राजवंश से संबंध रखने वाले व्यक्ति का नया चांसलर घोषित करना चाहता था। जर्मन सुरक्षाबलों ने ऑस्टलिया और इटली में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी संख्या 25 से भी अधिक बताई जाती है। इन देशों में स्थानीय पुलिस क सहयोग से 27 स्थानों पर छापे मारकर अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, गोला-बारूद और अस्त्र-शस्त्र बरामद किए गए हैं।

जर्मनी सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि इस साजिश को रचने वालों में 14 व्यक्तियों का संबंध जर्मनी की सेना से है और वे सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हैं। उनकी योजना एक अस्थाई सैनिक शासन स्थापित करने की थी। इसके अतिरिक्त वे वर्तमान सेना को भंग करके नई सेना की भर्ती का मंसूबा भी बनाए हुए थे। जर्मन समाचारपत्र 'बिल्ड एम सोनटैग' का जर्मनी के गृहमंत्रालय ने बताया कि ये लोग विद्रोही गुट 'रीच सिटीजन्स्' से संबंधित हैं। यह संगठन गत पांच वर्ष से जर्मनी में सक्रिय था और इसके समर्थकों की संख्या 23 हजार बताई जाती है। इस गिरोह ने काफी संख्या में सैनिकों को भर्ती करने का प्रयास भी किया था।

इमरान सरकार को गिराने में जनरल बाजवा का हाथ

औरंगाबाद टाइम्स (16 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रो इमरान खान ने यह आरोप लगाया है कि उनकी निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटने में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था, जिनके इशारे पर उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस वक्त जो लोग पाकिस्तान में सत्तारूढ़ हैं, वे डाकू और लुटेरे हैं और वे सेना की सहायता से

देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस लूटपाट के कारण पाकिस्तान में बेतहाशा मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी बढ़ रही है और पाकिस्तान तेजी से दिवालियापन का शिकार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह अत्याचार है कि जब छोटे लोग चोरी करें, तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मगर जब देश को लूटने वाले बड़े-बड़े डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की जाए, तो वे पाकिस्तान से भागकर विदेशों में शरण ले लेते हैं और बाद में देश पर कब्जा करने वाले राजनीतिक डाकुओं से सौदेबाजी करके पाकिस्तान वापस लौट आते हैं। ऐसे डाकुओं ने पहले परवेज मुशर्रफ से और अब जनरल बाजवा से सौदेबाजी की है।

इमरान खान के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जनरल बाजवा ही इमरान खान को सत्ता में लाए थे। मगर बाद में इमरान खान ने बाजवा को धोखा दे दिया। इमरान खान की सरकार ने देश को दोनों हाथों से लूटा।

गौरतलब है कि इमरान खान ने आईएसआई के जिस प्रमुख को उनके पद से बर्खास्त किया था, उन्हें ही वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बना दिया है। इससे सेना और विपक्षी दलों के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर मुकदमा चलाने की सिफारिश

इत्तेमाद (21 दिसंबर) के अनुसार 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कांग्रेस के कैपिटल हिल पर हुए हमले और दंगों की जांच करने वाली अमेरिकी कांग्रेस की संसदीय कमेटी ने देश के न्याय विभाग से सिफारिश की है कि 2020 के चुनावी नतीजों को बदलने का प्रयास करने और हिंसा को भड़काने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर मुकदमा चलाया जाए। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब देश के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सात डेमाक्रेट और दो रिपब्लिकन सांसदों के पैनल ने सर्वसम्मति से किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की हो।

इस पैनल ने कहा है कि जनवरी 2021 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डोनाल्ड

ट्रम्प ने लोगों को निर्वाचित सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया था और जो बाइडेन की विजय के मुद्दे पर जनता को धोखा देकर चुनाव परिणामों में फेरबदल करने का प्रयास किया था।

गौरतलब है कि इससे पूर्व ही अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा नियुक्त एक वकील जैक स्मिथ ट्रम्प के खिलाफ जांच कर रहे हैं। यह जांच अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरीक गारलैड की निगरानी में हो रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी सरकार अमेरिका के दक्षिणी राज्य जॉर्जिया में भी ट्रम्प के खिलाफ जांच कर रही है।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने आरोप लगाया है कि इस जांच का लक्ष्य राजनीतिक है, ताकि उन्हें पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोका जा सके। उन्होने यह भी आरोप लगाया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो पैनल बनाया है वह एकपक्षीय और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पैनल ने ट्रम्प के पांच सहयोगियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इनमें व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर और अन्य तीन प्रमुख पूर्व अधिकारी शामिल हैं। पैनल ने यह आरोप लगाया है कि ट्रम्प के इन पांच सहयोगियों ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में हेराफेरी करने का प्रयास किया था।

पैनल ने कहा है कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी जनता की ओर से कैपिटल हिल पर जो हमला किया गया था, उसके पीछे ट्रम्प का हाथ था। कैपिटल हिल अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, इसलिए ट्रम्प ने अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास किया था। अतः उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि अमेरिका में नवंबर 2020 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन विजयी रहे थे। जब इस चुनाव की कैपिटल हिल स्थित कांग्रेस कार्यालय में मतगणना की जा रही थी, उस समय ट्रम्प के 2000 समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन पर हमला किया था और उसमें भारी तोड़फोड़ की थी। इस दौरान पुलिस से भी उनकी झड़पें हुई थीं। इस हमले के कारण कई घंटों तक बाइडेन के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की घोषणा रूकी रही। बाद में संसद भवन पर हमला करने के आरोप में 960 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से आधे लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था, जिन्हें सजा सुनाई जा चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से ईरान निष्कासित

रोजनामा सहारा (16 दिसंबर) के अनुसार ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ नाराजगी प्रकट करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान को 'कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमन' से निष्कासित करने की घोषणा की है। फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामजिक परिषद के 54 सदस्यों में से 29 ने ईरान को कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमन (सीएसडबल्यू) से तीन वर्ष के लिए निष्कासित करने की घोषणा की है। मतदान में आठ देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया। जबकि 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

ईरान को निष्कासित करने का प्रस्ताव अमेरिका की ओर से पश किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरानी नेतृत्व निरंतर लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहा है। ईरान सरकार की कट्टर धार्मिक नीतियों के खिलाफ जो महिलाएं देश में शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रही हैं, उनके खिलाफ ईरानी सेना और पुलिस का निर्मम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण काफी संख्या में लड़कियां और महिलाएं मारी गई हैं।

गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि उसने ईरानियों के मूलभूत अधिकारों के हनन का सिलसिला जारी रखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने आरोप लगाया है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है और अमेरिका के दबाव में लिया गया है।

सियासत (19 दिसंबर) के अनुसार ईरान की सबसे लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री तारानह अलीदूस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑस्कर विजेता इस फिल्म अभिनेत्री ने ईरान में जारी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था और सोशल मीडिया पर बिना हिजाब और स्कार्फ पहने अपनी तस्वीर भो पोस्ट की थी। तारानेह अली को 2017 में एक फिल्म 'द सेल्समैन' के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था।

गौरतलब है कि 16 सितंबर को एक कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, जिसमें 63 बच्चों सहित 500 से अधिक लोग मारे गए हैं और कम-से-कम 14 हजार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

लीबिया में आईएसआईएस के 17 सदस्यों को फांसी

अवधनामा (21 दिसंबर) के अनुसार एक सरकारी बयान के अनुसार त्रिपोली की अदालत ने आईएसआईएस से संबंधित 17 लोगों को मौत की सजा दी है। इन पर इस्लामिक स्टेट के इशारे पर हिंसा भड़काने और लीबिया के पश्चिमी नगर सबराथा में अनेक लोगों की हत्या करने का आरोप है। अदालत ने कहा है कि इन लोगों ने कम-से-कम 53 मासूम लोगों को हत्या की और दर्जनों सरकारी इमारतों को ध्वस्त किया। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने कई दर्जन लोगों को बंधक बनाया, जिनके बारे में आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि वे कहां है? जिन लोगों को यह सजा सुनाई गई है, उनकी नागरिकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मगर अनुमान है कि उनका संबंध सीरिया, इराक और अन्य देशों से है।

गौरतलब है कि 2011 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल-गद्दाफी की सरकार का तख्ता पलट दिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे देश मं दंगे भड़क उठे थे। इस का लाभ उठाकर इस्लामिक स्टेट ने स्थानीय इस्लामिक आतंकियों के साथ गठजोड़ करके सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी और देश के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। 2015 में सरकारी सैनिकों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें सैकड़ां आतंकवादी मारे गए और कुछ मरुभूमि में भाग गए।

इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने फरवरी 2016 में सबराथा पर कब्जा कर लिया और वहां पर काफी मासूम नागरिकों की हत्या की गई। सरकारी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद इस्लामिक स्टेट से संबंधित सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सामूहिक रूप से फांसी पर लटकाया गया। लीबिया सरकार के इस कदम की संयुक्त राष्ट्र संघ ने निंदा की थी। इससे पूर्व भी इस्लामिक स्टेट से संबंधित काफी आतंकियों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। मगर उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से फांसी पर लटकाया गया था।

सऊदी अरब में अबाया पहनने पर प्रतिबंध

औरंगाबाद टाइम्स (21 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब में पारंपरिक इस्लामिक संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अमेरिका के पभाव के कारण देश में उदारवाद की आड़ में पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है, जिसके कारण विश्व भर के इस्लामिक देशों में दिन-प्रतिदिन चिंता उत्पन्न हो रही है।

हाल ही में सऊदी सरकार ने परीक्षा केंद्रों में लड़कियों के अबाया (एक तरह का बुर्का) पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक शाही

फरमान के अनुसार अबाया पहने महिलाओं या लड़कियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला सऊदी अरब के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कमीशन (ईटीईसी) ने किया है। गौरतलब है कि अबाया एक तरह का बुर्का होता है, जो कि सऊदी महिलाओं की परंपरागत पोशाक है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कट्टरपंथी मुसलमानों ने कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए हैं, जिसे सऊदी सरकार ने दबा दिया है।

कमीशन ने अपने आदेश में कहा है कि परीक्षा केंद्रों में सिर्फ उन्हीं छात्राओं को परीक्षा देने की अनुमति होगी, जो कि स्कूल और कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आएंगी। इस यूनिफॉर्म को निर्धारित करते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि वे पूरे शरीर को न ढकें और शरीर का काफी हिस्सा साफ दिखाई दे। गौरतलब है कि यह आयोग सऊदी अरब में शिक्षा के पाठ्यक्रम और स्कूलों तथा कॉलेजों का नियंत्रण करता है और यह शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका गठन 2017 में किया गया था। क्योंकि, सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी शिक्षा पद्धति को आधुनिक बनाना चाहते हैं, इसीलिए यह आदेश जारी किया गया है। यह पूरे देश में लागू होगा और उसे सख्ती से कार्यान्वित किया जाएगा।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के पभाव के कारण सऊदी अरब को आधुनिक बनाने की आड़ में उस पर पश्चिमी संस्कृति को लाद रहे हैं। गौरतलब है कि 19 मार्च 2018 को मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सऊदी महिलाओं के लिए काले रंग का अबाया अर्थात बुर्का पहनना जरूरी नहीं है। उन्होंने महिलाओं को वाहन चलाने और मॉल में नौकरी करने की भी अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सऊदी सरकार के उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके अनुसार कोई भी महिला या युवती बिना बुर्का पहने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकती थीं।

सऊदी सरकार ने देश में पहली बार सिनेमा हॉल स्थापित करने की भी अनुमति दी है, जिसमें महिलाएं बिना पर्दे के फिल्मों को देख सकती हैं। सऊदी सरकार के आंकड़ों के अनुसार उदारवादी नीति के कारण गत पांच वर्षों में नौकरीपेशा महिलाओं की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या 20 प्रतिशत थो, जो कि 2021 में बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है। सऊदी अरब सरकार के इस फैसले का इसलिए भी महत्व है, क्योंकि एक ओर तो इस्लामिक जगत में बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, भारत में कट्टरपंथी हिजाब पहनने और परदा करने पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं।

विश्व भर के प्रभावी मुसलमानों की सूची जारी

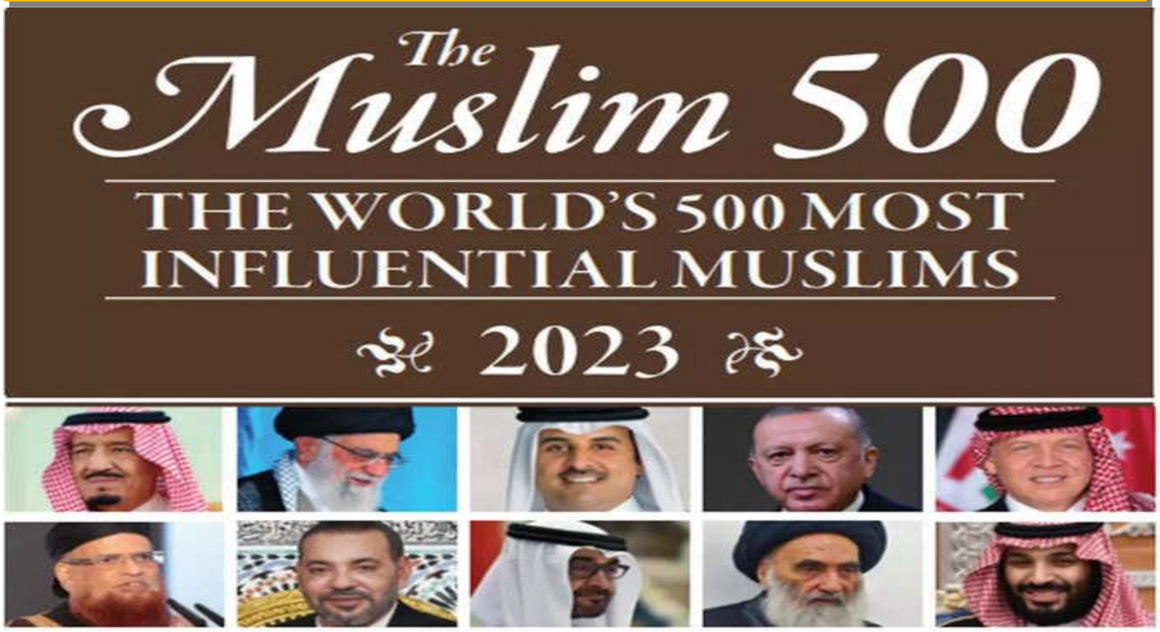

इंकलाब (24 दिसंबर) के अनुसार जॉर्डन की 'द रॉयल आल अल-बैत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट (आरएबोआईआईटी)' ने अगले वर्ष के लिए दुनिया भर के 500 प्रभावी मुसलमानों की सूची जारी की है। यह संगठन एक इस्लामिक एनजीओ है, जिसका मुख्यालय अम्मान में स्थित है। इस सूची में पहले स्थान पर सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सउद को रखा गया है। जबकि दूसरे स्थान पर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई हैं। तीसरे स्थान पर कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल-थानी हैं। चौथे स्थान पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं। आठवें स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात के शासक शेख मोहम्मद बिन जायेद अल-नाहयान हैं आर दसवें स्थान पर सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान हैं।

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो इस सूची में 13वें स्थान पर हैं और 15वें स्थान पर जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को रखा गया है। मौलाना मदनी को 'मैन ऑफ द ईयर' भी घोषित किया गया है। इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस समय दुनिया में दो अरब मुसलमान हैं। यह संख्या दुनिया की कुल आबादी का एक चौथाई है। हालांकि, मुसलमान अलग-अलग देशों के नागरिक हैं। मगर इस्लामिक मिल्लत (उम्माह) के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। ये शख्सियतें इस्लामिक संस्कृति, विचार, राजनीति और वित्त से संबंधित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम किसी भी व्यक्ति की शख्सियत को उभारने के पक्षधर नहीं हैं। हमने उनका चयन इस आधार पर किया है कि वे मुस्लिम जगत पर किस हद तक प्रभावी हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि इस सूची में शीर्ष के 50 लोगों मे ऐसे लोग शामिल हैं, जो या तो इस्लामिक देशों के शासक हैं या इस्लामिक विद्वान हैं और मुसलमानों में उनके प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरब जगत और दुनिया भर के मुसलमानों में सऊदी अरब के शासक का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इस सूची को तैयार करने में इस्लामिक जगत के 88 विशेषज्ञों ने भूमिका निभाई है।

समाचारपत्र के अनुसार कतर सबसे अमीर मुस्लिम देश है। वहां पर प्रति व्यक्ति आय 63,505 डॉलर है। कतर के शासक पर उनको मां का खास प्रभाव है। शेख तमीम ने ब्रिटेन के पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी (इंगलैंड) से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान 11 वर्षों तक तुर्की के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने 2002, 2007 और 2011 के चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त किया था। 2014 में वे तुर्की के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2018 में वे पुनः राष्ट्रपति बने और अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। एर्दोगान 1994 में इस्तांबुल के पहले मेयर बने थे। साल 2003 में तुर्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूं और एक मुसलमान के रूप में इस्लाम, रसूल और कुरान पर आस्था रखता हूं। अल्लाह ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा।

इजरायल सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के लिए तैयार

मुंबई उर्दू न्यूज (17 दिसंबर) के अनुसार इजरायल के छठी बार प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल सऊदी अरब के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार है। 'अल-अरेबिया' के साथ इंटरव्यू में उन्होंने अरब देशों के साथ इजरायल के संबंधों, मध्यपूर्व में अमेरिकी प्रभाव, ईरान में अशांति, इजरायल में कट्टरपंथी सरकार की स्थापना और लेबनान के साथ समुद्री सीमा से संबंधित समझौते के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ हम अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। यह अरब-इजरायल विवाद को सुलझाने में क्रांतिकारी कदम होगा।

उन्होंने कहा कि मैं खुले समझौतों में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरे मंत्रिमंडल में कुछ कट्टरपंथी शामिल हों, मगर मैं अरब देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने का समर्थक हूं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी नेताओं के साथ सीधी बातचीत करने की बजाय यह जरूरी है कि 2020 में अरब देशों

के साथ जो 'अब्राहम समझौता' हुआ था, उसमें बढ़ोतरी की जाए। यह इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और अन्य अरब देशों के साथ शांति का एक बेहतर रास्ता होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीनी नेता इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे और अगर सऊदी अरब के साथ हमारा शांति का समझौता हो जाता है तो यह इजरायल और अरब जगत के बीच शांति की दिशा में एक लंबी छलांग होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीनी नेताओं के कड़े रूख के कारण उनके साथ शांति स्थापना में सफलता नहीं मिल रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका ने इजरायल के नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद इजरायल और अरबों के बीच शांति प्रयासों को शुरू कर दिया है। इस बात की संभावना है कि अगले वर्ष सऊदी अरब और इजरायल के नेताओं के बीच उच्चस्तरीय वार्ता हो और उसके बाद दोनों देशों के बीच शांति का समझौता किया जाए। इस समझौते में उन सभी देशों को शामिल किया जाएगा, जिनके साथ इजरायल का 'अब्राहम समझौता' हो चुका है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन और कतर आदि देश शामिल हैं। इसके अलावा यह भी प्रयास किया जाएगा कि इस समझौते में उन अरब देशों को भी शामिल किया जाए, जो पुराने समझौते में शामिल नहीं थे। नेतन्याहू ने कहा कि इस समझौते से इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद को भी हल करने में सहायता मिलेगी।

इंकलाब (17 दिसंबर) के अनुसार नेतन्याहू ने कहा कि हम हर तरह के विवाद को सुलझाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल गुजर जाने के बाद अब हमें नए ढंग से सोचना चाहिए। समाचारपत्र का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक रहा है और वह इस बात पर जोर देता रहा है कि जब तक फिलिस्तीन को एक देश के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह इजरायल से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि अब अमेरिका के दबाव के चलते वह अपने पुराने स्टैंड में कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार है।

एक अन्य समाचार के अनुसार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि वे इजरायल के साथ सशस्त्र संघर्ष के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण संघर्ष करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि वे फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) के विघटन करने के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि, इसकी स्थापना कई वर्ष के प्रयासों के बाद हुई है। हम फिलिस्तीनी रियासत की मांग पर कटिबद्ध हैं और हमें अपने दावे को छोड़ने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता।

पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट

औरंगाबाद टाइम्स (24 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर की एक मुस्लिम लड़की सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी। एनडीए परीक्षा पास करने के बाद उन्हें खडकवासला (पुणे) की एयर फोर्स एकेडमी में दाखिला मिला है। ये दूसरी महिला हैं, जिन्हें लड़ाकू विमान उड़ाने का मौका मिलेगा। इससे पूर्व, अवनि चतुर्वेदी का इस पद के लिए चयन हुआ था। सानिया मिर्जा के पिता टीवी मैकेनिक हैं। गौरतलब है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 की परीक्षा में कुल 400 सीटें थी,

जिनमें से 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। इनमें से दो सीटें फाइटर पायलट की थीं, जिनमे से एक सीट पर सानिया मिर्जा का चयन हुआ है।

स्कूल में इकबाल की नज्म पढ़ाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई

सियासत (24 दिसंबर) के अनुसार बरेली के एक स्कूल में अल्लामा इकबाल की नज्म को बच्चों से पढ़वाना प्रिंसिपल को महंगा पड़ा है। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। समाचार के अनुसार इस मुस्लिम प्रिंसिपल ने सुबह की प्रार्थना में बच्चों से इकबाल की एक नज्म (कविता) का गान करवाया था। विश्व हिंदू परिषद ने इस नज्म पर आपत्ति की थी और यह आरोप लगाया था कि यह मदरसे की नमाज है, जिसके कारण हिंदू बहुल क्षेत्र के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।

इस शिकायत के बाद प्रशासन ने प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वातावरण खराब करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र को निलंबित कर दिया है।

राष्ट्रपति निलयम का निर्माण मुस्लिम नवाब ने करवाया था

सियासत (25 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वे हैदराबाद स्थित 'राष्ट्रपति निलयम' में रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य सरकार ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं और भवन का रंग-रोगन करके उसको सजाया जा रहा है।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति निलयम का ऐतिहासिक महत्व है, जिसका निर्माण कार्य निजाम नासिर-उद-दौला ने 1850 में शुरू किया था और यह भवन 1860 में बनकर तैयार हो गया था। हैदराबाद रियासत के विलय के बाद 1950 में भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1952 से शीतकाल के दौरान इस भवन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ठहरना शुरू किया था। यह सिलसिला पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक जारी रहा। इस भवन का निर्माण 90 एकड़ भूमि पर किया गया है। जबकि, मूल भवन 2500 वर्गमीटर क्षेत्र में बना हुआ है।

अमेरिका में सिख फौजियों को दाढ़ी रखने की अनुमति

मुंबई उर्दू न्यूज (26 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका की एक फेडरल अदालत ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अमेरिकी सेना के सिख सैनिकों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना के नियम के मुताबिक वहां दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्हें सेना की निर्धारित वर्दी पहननी पड़ती है। हाल ही में तीन सिख

सैनिकों ने कोलंबिया की फेडरल अदालत में अमेरिकी सेना के इन नियमों को चुनौती दी थी और कहा था कि दाढ़ी मुंडाना और सिर पर पगड़ी न बांधना उनके धार्मिक नियमों के खिलाफ है। इस फैसले के बाद अमेरिकी सरकार ने यह तय किया है कि अमेरिकी सेना और कोस्ट गार्ड में नौकरी करने वाले सिखों की धार्मिक आस्था का ध्यान रखा जाएगा और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, जिनसे उनकी धार्मिक भावना आहत हो।

गोधरा कांड के आरोपी की जमानत

सियासत (16 दिसंबर) के अनुसार 2002 में गुजरात के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषी फारूक को 17 वर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने फारूक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और गत 17 वर्ष से वह जेल में बंद था। उसे जमानत पर रिहा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फारूक को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया था और कहा था कि यह बहुत ही जघन्य अपराध था, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों को जीवित जलाया गया था। मेहता ने कहा था कि फारूक सहित अन्य कई लोगों को साबरमती एक्सप्रेस पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था। आम तौर पर पथराव करना मामूली जुर्म है, लेकिन इस मामले में गाड़ी के डिब्बे को बाहर से बंद कर दिया गया था, ताकि आग से बचने के लिए यात्री बाहर नहीं निकल सकें। इस अग्निकांड के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थ।

स्थानीय अदालत ने 2011 में 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि 63 लोगों को बरी कर दिया था। इनमें से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जबकि, बाकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था, जिनमें फारूक भी शामिल था।

RNI No. DELHIN/2017/72722

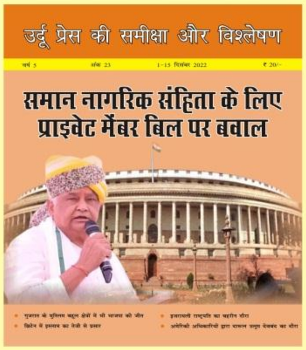

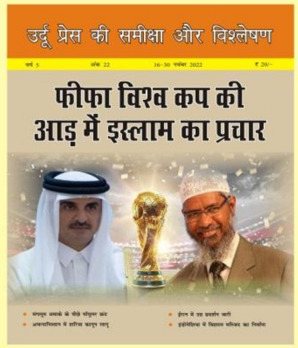

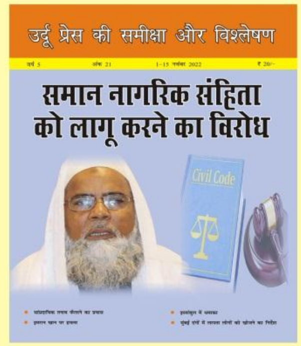

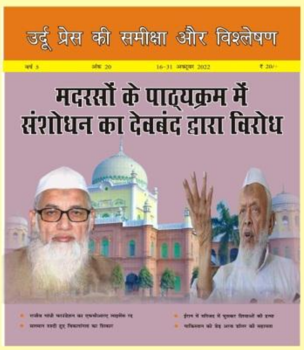

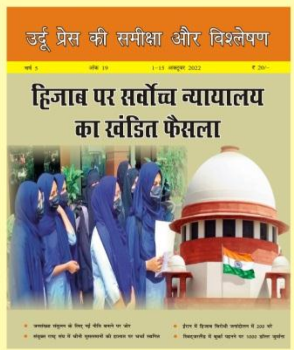

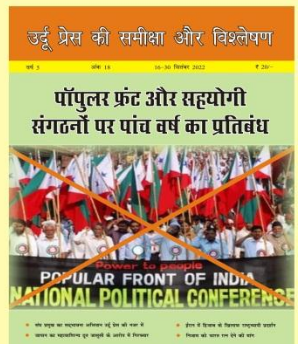

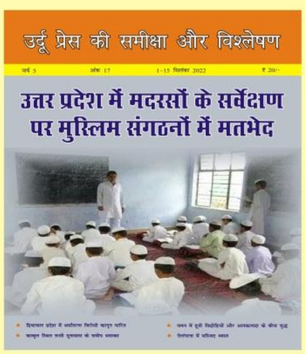

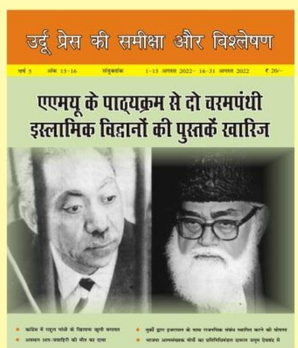

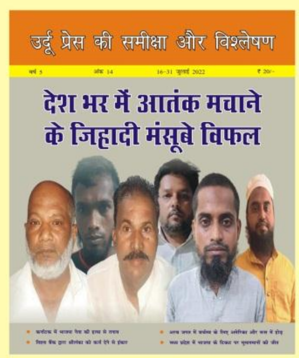

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in